

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273049
SG-DL-E-01062026-273049

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|------------------------|
| सं. 138] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2026/वैशाख 31, 1948 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 53 |
| No. 138] | DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2026/VAISAKHA 31, 1948 | [N. C. T. D. No. 53 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मई, 2026

सं. 07/2025-राज्य कर

फा. सं. 3 (01)/वित्त.(व्यय-I)/2026-27/डीएस-I/496.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं, अर्थात्: —

- (1) इन नियमों को दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाए।
- (2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर, ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (तत्पश्चात उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) में, अधिसूचित तिथि से नियम 16 के पश्चात निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -
- “16क. अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करना - जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भुगतान करने के लिए अपेक्षित है, तो उपयुक्त अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्रपत्र जीएसटी आरईजी-12 के भाग ख में एक आदेश जारी कर सकता है।”
3. उक्त नियमों में, अधिसूचित तिथि से प्रभावी, नियम 19 के उप-नियम (1) में, “प्रपत्र जीएसटी आरईजी-10” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात, “प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में कंपोजिशन करदाता द्वारा दी गई सूचना में” शब्दों, अक्षरों और अंकों को सन्निविष्ट किया जाएगा।
4. उक्त नियमों में, अधिसूचित तिथि से प्रभावी, नियम 87 के उप-नियम (4) में, “सामान्य पोर्टल” शब्दों के पश्चात, “नियम 16क के अनुसार” शब्दों, अक्षरों और अंकों को सन्निविष्ट किया जाएगा।
5. उक्त नियमों में, अधिसूचित तिथि से प्रभावी, प्रपत्र आरईजी-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रपत्र जीएसटी आरईजी -12

[देखें नियम 16(1), 16क]

संदर्भ संख्या -

सेवा में

(नाम):

(पता):

अस्थायी पंजीकरण संख्या/अस्थायी पहचान संख्या

दिनांक:

अस्थायी पंजीकरण/स्वयं के पंजीकरण/अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करने का आदेश

जबकि अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। अतः आपको अस्थायी आधार पर पंजीकृत किया जाता है। व्यवसाय परिसर से प्राप्त व्यवसाय का विवरण निम्नलिखित है:

भाग क

| उस व्यक्ति का विवरण जिसे अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| 1. | नाम और कानूनी नाम, यदि लागू हो | |
| 2. | लिंग | पुरुष/महिला/अन्य |
| 3. | पिता का नाम | |
| 4. | जन्म तिथि | दिन/माह/वर्ष |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| 5. | व्यक्ति का पता | भवन संख्या/फ्लैट संख्या | |
| | | मंजिल संख्या | |
| | | परिसर/भवन का नाम | |
| | | सड़क/गली | |
| | | शहर/नगर/इलाका/गाँव | |
| | | ब्लॉक/तालुका | |
| | | जिला | |
| | | राज्य | |
| पिन कोड | | | |
| 6. | व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो | | |
| 7. | मोबाइल नंबर | | |
| 8. | ईमेल पता | | |
| 9. | अन्य पहचान पत्र यदि कोई हो तो (मतदाता पहचान संख्या/ पासपोर्ट संख्या/ ड्राइविंग लाइसेंस संख्या/ आधार संख्या/अन्य) | | |
| 10. | अस्थायी पंजीकरण के कारण | | |
| 11. | पंजीकरण/अस्थायी पहचान पत्र की प्रभावी तिथि | | |
| 12. | पंजीकरण संख्या / अस्थायी पहचान पत्र | | |
| 13. | बैंक खात (खातों) का विवरण [वैकल्पिक] | | |
| आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की जानकारी देनी होगी) | | | |

बैंक खाता 1 का विवरण

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खाते का प्रकार | आईएफएससी | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बैंक का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शाखा का पता | स्वतः भरा जाएगा (संपादन मोड) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टीप – और बैंक खाते जोड़ें

| | |
|---|-----------------------|
| (जब्त ज्ञापन/हिरासत ज्ञापन/अन्य सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें) | |
| आपको एतद द्वारा इस आदेश की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर उपयुक्त पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। | |
| स्थान | हस्ताक्षर |
| दिनांक: | <<अधिकारी का नाम>>: |
| टीप: आदेश की एक प्रति संबंधित केंद्रीय/राज्य अधिकार क्षेत्र प्राधिकारी को भेजी जाएगी। | पदनाम/अधिकार क्षेत्र: |

भाग ख

जबकि अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए आपको एतद द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाती है:

| उस व्यक्ति का विवरण जिसे अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की गई है | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | नाम और कानूनी नाम, यदि लागू हो | |
| 2. | लिंग | पुरुष/महिला/अन्य |
| 3. | पिता का नाम | |
| 4. | जन्म तिथि | दिन/माह/वर्ष |
| 5. | व्यक्ति का पता | भवन संख्या/फ्लैट संख्या |
| | | तल संख्या |
| | | परिसर/भवन का नाम |
| | | सड़क/गली |
| | | शहर/नगर/इलाका/गाँव |
| | | ब्लॉक/तालुका |
| | | जिला |
| | | राज्य |
| | पिन कोड | |
| 6 | व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो | |
| 7. | मोबाइल नंबर | |
| 8. | ईमेल पता | |
| 9 | अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो तो) (मतदाता पहचान संख्या/ पासपोर्ट संख्या/ ड्राइविंग लाइसेंस संख्या/ आधार संख्या/अन्य) | |
| 10. | अस्थायी पहचान पत्र की प्रभावी तिथि | |
| 11 | अस्थायी पहचान पत्र | |

12. बैंक खाता (खातों) का विवरण [वैकल्पिक]

| | |
|---|--|
| आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की जानकारी देनी होगी) | |
|---|--|

बैंक खाते का विवरण

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | | |
| खाते का प्रकार | | | | | | | आईएफएससी | | | | | | | | |
| बैंक का नाम | | | | | | | | | | | | | | | |
| शाखा का पता | स्वतः भरा जाएगा (संपादन मोड) | | | | | | | | | | | | | | |

टीप – और बैंक खाते जोड़ें

| | |
|---|--|
| हस्ताक्षर | |
| स्थान दिनांक: | <<अधिकारी का नाम>>: पदनाम/अधिकार क्षेत्र: |
| टीप: आदेश की एक प्रति संबंधित केंद्रीय/राज्य अधिकार क्षेत्र प्राधिकारी को भेजी जाएगी। | |

टीप: मूल नियम दिनांक 22 जून, 2017 की फा.स.3 (10)/वित्त.(राज0-1)/2017-18/डीएस-1/342 के माध्यम से दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 06-02-2026 की फा.सं. 3 (40)/ वित्त.(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/114 के माध्यम से दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 20/2024-राज्य कर के द्वारा संशोधित किए गए थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st May, 2026

No. 07/2025-State Tax

F. No. 3 (01)/Fin.(Exp-I)/2026-27/DS-I/496.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

- (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2025.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from a date to be notified, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely: -

“16A. Grant of temporary identification number. - Where a person is not liable to registration under the Act but is required to make any payment under the provisions of the Act, the proper officer may grant the said person a temporary identification number and issue an order in Part B of FORM GST REG-12.”.

3. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 19, in sub-rule (1), after the words, letters and figures “FORM GST REG-10”, the words, letters and figures “or in the intimation furnished by the composition taxpayer in FORM GST CMP-02” shall be inserted.

4. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 87, in the sub-rule (4), after the words “common portal”, the words, figures and letters “as per rule 16A” shall be inserted.

5. In the said rules, with effect from a date to be notified, for FORM REG-12, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM GST REG-12
[See rule 16(1), 16A]

Reference Number -

Date:

To
(Name):
(Address):
Temporary Registration Number/Temporary Identification Number

Order of Grant of Temporary Registration/Suo Moto Registration/ Temporary Identification Number

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

PART A

| Details of person to whom temporary registration granted | | |
|--|--|----------------------------|
| 1. | Name and Legal Name, if applicable | |
| 2. | Gender | Male/Female/Other |
| 3. | Father's Name | |
| 4. | Date of Birth | DD/MM/YYYY |
| 5. | Address of the Person | Building No./Flat No. |
| | | Floor No. |
| | | Name of Premises/ Building |
| | | Road/ Street |
| | | Town/City/Locality/Village |
| | | Block/ Taluka |
| | | District |
| | | State |
| | PIN Code | |
| 6. | Permanent Account Number of the person, if available | |
| 7. | Mobile No. | |
| 8. | Email Address | |

| | | |
|-----|--|--|
| 9. | Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./ Driving License No./ Aadhaar No./Other) | |
| 10. | Reasons for temporary registration | |
| 11. | Effective date of registration/ temporary ID | |
| 12. | Registration No. /Temporary ID | |

13. Details of Bank Accounts (s) [Optional]

| | |
|--|--|
| Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported) | |
|--|--|

Details of Bank Account 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Account Number | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type of Account | | | | | | | | IFSC | | | | | | | | | | | |
| Bank Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branch Address | To be auto-populated (Edit mode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note – Add more bank accounts.

| | |
|--|---------------------------|
| (Upload of Seizure Memo /Detention Memo/ Any other supporting documents) | |
| << You are hereby directed to file application for proper registration within ninety days of the issue of this order>> | |
| Place | Signature |
| Date: | <<Name of the Officer>>: |
| | Designation/Jurisdiction: |
| Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority. | |

PART B

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable to make any payment under the Act, and therefore, you are hereby granted a temporary identification number as per the following details:

| Details of person to whom temporary identification number has been granted | | |
|---|--|----------------------------|
| 1. | Name and Legal Name, if applicable | |
| 2. | Gender | Male/Female/Other |
| 3. | Father's Name | |
| 4. | Date of Birth | DD/MM/YYYY |
| 5. | Address of the Person | Building No./ Flat No. |
| | | Floor No. |
| | | Name of Premises/ Building |
| | | Road/ Street |
| | | Town/City/Locality/Village |
| | | Block/ Taluka |
| | | District |
| | | State |
| 6. | Permanent Account Number of the person, if available | |
| 7. | Mobile No. | |
| 8. | Email Address | |
| 9. | Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./ Driving License No./ Aadhaar No./Other) | |
| 10. | Effective date of temporary ID | |
| 11. | Temporary ID | |

12. Details of Bank Accounts (s) [Optional]

| | |
|--|--|
| Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported) | |
|--|--|

Details of Bank Account

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Account Number | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type of Account | | | | | | | | | | | IFSC | | | | | | | | | |
| Bank Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branch Address | To be auto-populated (Edit mode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note – Add more bank accounts.

| | |
|--|---------------------------|
| Signature | |
| Place | <<Name of the Officer>>: |
| Date: | Designation/Jurisdiction: |
| Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.”. | |

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-I/342, dated 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 20/2024 – State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number No. F.3 (40)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/114 dated 06-02-2026.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy (Fin.)